

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं: 0141-2228066, 2228064

फैक्स नं 0141-2228065

वेबसाइट : www.rmschealth.rajasthan.gov.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :: edprocurement@gmail.com एवं rmsc@nic.in

क्रमांक : F.02(336)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-26/2021/ 2464

Dated:- 16.08.2022

कार्यालय आदेश

भैषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(336)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-26/2021/1623 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स Medipol Pharmaceuticals I Pvt. Ltd., 128/5, SWISS HOUSE ने बिड प्रस्तुत की थी। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 23.11.2021 व वित्तीय बिड दिनांक 07.03.2022 को खोली गई।


फर्म को अनुमोदित आइटम कोड 712 (Tab. Levofloxacin IP 500 mg (Each Film Coated Tablet contains Levofloxacin Hemihydrate IP 500 mg)) & आइटम कोड 168 (Deferiprone Cap 500 mg) के लिये दिनांक 22.03.2022 को Letter of acceptance जारी किये गये थे। फर्म ने आइटम कोड 168 के लिये एग्रीमेंट व प्रतिभूति राशि प्रस्तुत कर दी, परन्तु फर्म ने आइटम कोड 712 के लिये एग्रीमेंट व प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं की। फर्म ने अपने पत्र दिनांक 06.05.2022 के द्वारा आइटम कोड 712 के लिये एग्रीमेंट व प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने से मनाकर दिया। जिसके पश्चात फर्म को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1343 दिनांक 11.05.2022 द्वारा एग्रीमेंट व प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया, परन्तु फर्म ने कोई जवाब नहीं दिया।

फर्म द्वारा एग्रीमेंट व प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं करना निविदा शर्तों के विरुद्ध है। निविदा शर्त सं. 19(1)- If the successful Bidder fails to execute the agreement and/or to deposit the required performance security within the time specified or withdraws his Bid after the intimation of the acceptance of his Bid has been sent to him or owing to any other reasons, he is unable to undertake the contract, his contract will be cancelled and the bid security deposited by him along with his bid, shall stand forfeited by the Bid Inviting Authority and he will also be liable for all damages sustained by the Bid Inviting Authority apart from blacklisting/ debarring the supplier. ((As per guidelines for blacklisting/ debarring at annexure IX).

डिबार्सिंग पालिसी के बिन्दु संख्या 2.1 के अनुसार "The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited. If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 year". के अन्तर्गत अनुशासनात्मक समिति दिनांक 15.07.2022 द्वारा की गई अनुशंसा की पालना में M/s Medipol Pharmaceuticals I Pvt. Ltd. को औषधी आइटम कोड 712 (Tab. Levofloxacin IP 500 mg (Each Film Coated Tablet contains Levofloxacin Hemihydrate IP 500 mg)) के लिये आरएमएससी की निविदाओं में भाग (participate) लेने से यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार करने तथा राशि रु 236000/- (GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रु दो



लाख छत्तीस हजार मात्र) की पैनल्टी आरोपित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।



प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(336)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-26/2021/ 2464

Dated:- 16.08.2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल।
7. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स Medipol Pharmaceuticals I Pvt. Ltd., द्वारा बिड सिक्योरिटी राशि के लिये Bid Security Declaration (on Rs.50/- stamp) लगाया गया था। अतः राशि रु 236000 (अक्षरे राशि रु दो लाख + GST 18@) होल्ड करें। फर्म द्वारा निर्धारित तिथि तक राशि रु. 236000/- निगम में जमा कराने/नहीं कराने की स्थिति में अलग से यू.ओ. नोट द्वारा अवगत करवा दिया जावेगा।
8. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
9. विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल।
10. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Medipol Pharmaceuticals I Pvt. Ltd., 128/5, SWISS HOUSE को भेजकर लेख है कि पैनल्टी राशि रु 236000 (अक्षरे राशि रु दो लाख + GST@18%) निगम में दिनांक 18.08.2022 तक (चालान/डीडी/RTGS) द्वारा जमा कराकर कार्यालय को अविलंब सूचित करें।
11. सहायक महाप्रबंधक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
12. रक्षित पत्रावली


कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल